<u>अनन्य न्यायालय, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कासगंज।</u>

पीठासीन अधिकारी– जेबा मजीद, विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.(पी.ओ.) एक्ट (जे0 ओ 0 कोड यू0 पी0 2647)

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1167/2026

सी०एन०आर०नं०– UPKR01–002557–2026

अखण्ड प्रताप उर्फ मनी पुत्र रतेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह निवासी ग्राम बढारी बैश, थाना व जनपद कासगंज।

बनाम

उ०प्र० राज्य

धारा– 109 बी.एन.एस.

व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट

व धारा 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट

अ०सं०–363/2026

थाना कासगंज, जनपद कासगंज

<u>दिनांक–12.08.2026</u>

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त अखण्ड प्रताप उर्फ मनी उपरोक्त की ओर से अपराध संख्या–363/2026, धारा 109 बी.एन.एस. व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट व धारा 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना कासगंज, जनपद कासगंज के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा गाँव की पार्टीबन्दी के कारण रंजिशन झूठा नामित किया गया है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। **यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है, प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1113/2026 दिनांक–31.07.2026 को धाराओं की बढोत्तरी होने पर बल न दिये जाकर निस्तारित हो चुका है अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी न्यायालय अथवा मा० उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया है न लम्बित है और न निरस्त हुआ है।** तथाकथित प्रथम सूचना रिर्पोट वादी द्वारा कानूनी राय मशवरा से दर्ज करायी गयी है देरी का कोई भी स्पष्टीकरण वादी द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिर्पोट में नहीं बताया गया है। तथाकथित प्रथम सूचना रिर्पोट में घटना का कोई भी स्वतन्त्र एवं चक्षुदर्शी जनसाक्षी नहीं है। कथित घटना के तथाकथित चुटैल की मेडिकल रिपोर्ट कथित घटना का समर्थन नहीं करती है। कथित चुटैल को कोई प्राण घातक चोट नहीं है एवं चिकित्सीय रिपोर्ट में दर्शित चोंट से कथित घटना संदिग्ध साबित होती है। कथित घटना स्थल से कथित घटना के सम्बंध में कोई खोखा कारतूस, बुलेट अथवा अन्य कोई भैतिक

Digitally signed by ZAIBA MAJID
Date: 2026.08.12 16:17:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

साक्ष्य बरामद नहीं हुआ है जो कि कथित घटना को संदिग्ध बनाता है। वास्तव में गाँव के प्रधानी के चुनाव में प्रार्थी / अभियुक्त व उसके पिता ने वर्तमान प्रधान जितेन्द्र का समर्थन किया एवं वादी का पक्ष / साथी / रुप सिंह चुनाव हार गया इसी रंजिश के कारण सडयन्त्र के तहत पराजित पक्ष के साथ मिल कर फर्जी चोटे बनाकर दबाव बनाने की गरज से झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कथित घटना से सम्बन्धित कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुयी है बल्कि विवेचक महोदया द्वारा न्यायालय से कस्टडी रिमाण्ड लेकर कार गुजारी दिखाते हुए एक तमंचा 315 बोर की फर्जी बरामदगी दर्शायी है जिसका कोई जनसाक्षी नहीं है। प्रार्थी/आवेदक तथाकथित तमंचे की कोई बरामदगी नहीं हुयी है, प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष उक्त मुकदमें में आत्मसमर्पण किया है जिससे छुब्द होकर विवेचक महोदया ने प्रार्थी की पुलिस कस्टडी रिमान्ड लेकर फर्जी तरीके से बरामदगी दर्शायी है। जब कि सम्बंध में प्रार्थी ने विवेचक को कोई भी ब्यान नहीं दिया है। प्राथमिकी में बताए गये कथित घटना स्थल से घटना से संम्बंधित कोई भी वस्तु बरामद नहीं है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत पी.सी.आर प्रार्थना पत्र में अभियुक्त के द्वारा बरामदगी का जो स्थान अंकित किया गया है वो स्वतः ही अपने आप दर्ज किया गया है। जबकि तथाकथित बरामदगी का स्थल बताया गया है वह उस स्थान से भिन्न है जिससे बरामदगी स्वतः ही संदिग्ध एवं फर्जी साबित होती है। पुलिस कस्टडी के रिमान्ड के सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा अपने आदेश में विवेचक को दिशा निर्देश दिये गये थे उनका अनुपालन विवेचक ने नहीं किया था जो कि मा०न्यायालय के अवमानना की श्रेणी में आता है और तथाकथित बरामदगी संदिग्ध हो जाती है। तथाकथित बरामदगी का काई भी स्वतन्त्र एवं जनसाक्षी नहीं है जो भी गवाह दर्शाए गये हैं वो पुलिसकर्मी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है एवं अपनी उचित जमानत दाखिल कराने को तैयार है जमानत का दुरुप्रयोग नहीं करेगा। प्रार्थी श्रीमान जी के समक्ष आत्मसमर्पण करने के उपरान्त दिनांक–04.07.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। इन कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि "वादी सत्यपाल सिंह पुत्र अमर सिंह जाटव निवासी ग्राम बढारी वैश थाना कोतवाली कासगंज जिला कासगंज का अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। कई दिन से अखण्ड प्रताप उर्फ मनी पुत्र पप्पू पुत्र पप्पू उर्फ रतेन्द्र जो हमारे ही गॉव के ठाकुर लोग है हमे व पडोसी धोबी लोगों को खेत पर काम करने को कह रहे थे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है इसी बात को लेकर आज सुबह 7.30 से 8.00 बजे के बीच इसी बात को लेकर अखण्ड प्रताप उर्फ मनी ने प्रधान जी के घर के सामने बात बढने पर मेरे भाई रुकमपाल उर्फ बन्टू जाटव के सीने में जान से मारने की नीयत से गोली मार दी हम लोग भाई को लेकर जिला अस्पताल गये वहाँ से उसी अलीगढ़ रेफर कर दिया।"

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट व वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि अभियुक्त अखण्ड प्रताप उर्फ मनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के भाई रुकमपाल उर्फ बंटू जाटव, जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, के सीने में जान से मारने की नीयत से गोली मार दी अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर लिखित आपत्ति दाखिल की गयी है।

5. जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण, वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त अखण्ड प्रताप उर्फ मनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। अभियुक्त पर वादी मुकदमा के भाई रुकमपाल उर्फ बंटू जाटव के सीने में जान से मारने की नीयत से गोली मारने तथा तमंचा बरामदगी का आरोप है।

7. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण का कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में तथाकथित बरामदगी संदिग्ध है, चूँकि धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में अभियुक्त के द्वारा जो बरादमगी की जगह बतायी गयी थी, उस जगह से अलग जगह से बरामदगी दिखायी गयी है, जिससे स्पष्ट है कि बरामद तमंचा पुलिस द्वारा प्लान्ट किया गया है। दूसरी ओर, वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि बरामदगी स्थल धारा 180 बी.एऩ.एस.एस. के बयान में बताये गये स्थान से नजदीक लगभग 2–3 किलोमीटर के दायरे में है। अभियुक्त द्वारा जो ए.के.एन. भट्टा बताया गया था, वह लैण्डमार्क के तौर पर बताया गया था तथा लैण्डमार्क को ही रैफर करते हुए स्थान बताया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण का कथन है कि मेडिकल एविडेंस अर्थात् आघात आख्या अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करती है। वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उसके ऊपर तंमचे से फायर किया गया, परन्तु आघात आख्या में दो पैनीट्रेटिंग वुन्ड का उल्लेख है। अगर तमंचे या किसी अन्य फायर आर्म से फायर किया जाता है तो एन्ट्री व एक्जिट वुन्ड बनते हैं, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण की आघात आख्या में किसी भी एन्ट्री या एक्जिट वुन्ड का उल्लेख नहीं है, मात्र पैनिट्रेटिंग वुन्ड का उल्लेख है तथा नो टेटूइंग तथा नो ब्लैकनिंग का उल्लेख है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई फायर वादी मुकदमा पर नहीं किया गया था। दूसरी ओर, वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने कथन किया है कि वादी को प्राणघातक चोटे आयी है, जिसका उल्लेख आघात आख्या में है तथा आघात आख्या में यह भी उल्लिखित है कि चोट से खून बह रहा था, इसी कारण कोई टेटूइंग या ब्लैकनिंग नहीं हुई है। वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दौरान बहस वादी के फोटोग्राफ्स दाखिल किये गये है, जिसमें उसके सीने पर दो चोटे लगी हुई दिखायी दे रही है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण ने यह कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टया धारा 109 बी.एन.एस. का अपराध नहीं बनता है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा बार–बार प्रहार नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उसका जान से मारने का कोई आशय नहीं था। दूसरी ओर, वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने यह कथन किया है कि इस स्तर पर उक्त तथ्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह विचारण का विषय है। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित आरोप में आजीवन कारावास का प्रावधान है तथा प्रार्थी/अभियुक्त प्रभावशाली व्यक्ति है, यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा। दूसरी ओर, प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण का कथन है कि अपराध की गम्भीरता तथा सजा को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह भी कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में कोई बैलेस्टिक रिपोर्ट नहीं है। दूसरी ओर, विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने कथन किया है कि बैलेस्टिक ऑपिनियन के लिये विवेचक द्वारा कार्यवाही की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी पर जान से मारने की नीयत से तमंचे द्वारा फायर किये जाने का आरोप है। वादी की आघात आख्या पत्रावली में संलग्न है तथा प्रार्थी/अभियुक्त की निशानदेही पर तमंचे की बरामदगी हुई है। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों में उठाये गये प्रश्नों का निर्धारण विचारण के बाद ही किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रकृति के है। अतः प्रकरण के समस्त

तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्तवर्णित विश्लेषण के आधार पर **अभियुक्त अखण्ड प्रताप उर्फ मनी** की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–12.08.2026

(जेबा मजीद)

(जे.ओ. कोड सं०–UP2647)

विशेष न्यायाधीश,एस.सी./एस.टी.(पी.ओ.) एक्ट

कासगंज।